

शासकीय विद्यालय कोटा से प्रवेशित अभ्यर्थियों की जानकारी
(सत्र 2023-24)

नाम :- _____ पिता का नाम :- _____

NEET Roll No:- _____ NEET Score:- _____

State Rank :- _____ Eligible Category :- _____

Alloted Category :- _____

शासकीय कोटे में प्रवेश हेतु जिला शिक्षा अधिकारी/जिला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र का विवरण:-

प्रमाण पत्र क्रमांक:- _____ दिनांक:- _____

जारी कर्ता अधिकारी:- जिला शिक्षा अधिकारी/जिला संयोजक/सहायक आयुक्त

जिला :- _____

शासकीय विद्यालयों में अध्ययन करने की जानकारी :-

कक्षा	प्रवेश वर्ष	उत्तीर्ण वर्ष	विद्यालय का नाम	शासकीय/ अशासकीय	बोर्ड का नाम	विद्यालय म.प्र शासन द्वारा संचालित है अथवा नहीं
6 th						
7 th						
8 th						
9 th						
10 th						
11 th						
12 th						

यदि कक्षा 1-8th तक अशासकीय विद्यालय में अध्ययनरत होने पर, क्या विद्यार्थी Right to education Act के अंतर्गत अध्ययनरत था :- हाँ अथवा नहीं (यदि हाँ तो कृपया संबंधित RTE के तहत प्रवेश का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

// सत्यापनलेख //

मैं शपथगृहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र में वर्णित समस्त कथन मेरे सर्वोत्तम निजी ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा कोई असत्य कथन नहीं कहा गया है और ना ही किसी सत्य कथन को छिपाया गया है। मेरे द्वारा कोई भी भ्रामक तथ्य या जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। भविष्य में यदि मेरे विरुद्ध गलत जानकारी पाई जाने पर महाविद्यालय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है, जिसमें प्रवेश निरस्तीकरण भी सम्मिलित है। आज दिनांक को मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है।

अभिभावक के हस्ताक्षर
मोबाईल नं.

शपथगृहिता के हस्ताक्षर
मोबाईल नं.

ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो कि नीट-2023 में मध्यप्रदेश में यू.जी. काउन्सिलिंग के अंतर्गत स्टेट कोटा में एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम में शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन 10 मई 2023 में उल्लेखित अनुसूची-3 की तालिका क्रमांक 9 (क) अनुसार - शासकीय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी/जिला संयोजक/सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी नियम 2 (ब) की अपेक्षा पूर्ण करता है, मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इस संबंध में उपरोक्त प्रमाण पत्र के साथ ही महाविद्यालय में प्रवेश के समय कक्षा 6वीं से 12वीं तक की मूल अंक सूचीयां साथ में लाना सुनिश्चित करें एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से 8वीं तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के पश्चात शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा प्राप्त करने का साक्ष्य साथ में लाना सुनिश्चित करें।
संलग्न प्रारूप में समस्त जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।